प्रचालनरत है, जो लगभग 500 पंचायतों को एल पी जी उपलब्ध करा रही है। यह रिपोर्ट दी गई है कि प्रत्येक पंचायत में 5-10 गांव होते हैं। इनमें से प्रत्येक गांव को लगभग 150 एल पी जी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसे सभी गांवों को शत-प्रतिशत सुपुर्दगी पूर्व जांचों के साथ एल पी जी सिलेंडरों की घर में सुपुर्दगी की जाती है जहां मोटर वाहन के जाने योग्य मार्ग है। जहां मोटर वाहन के जाने योग्य मार्ग नहीं है वहां सिलेंडरों की सुपुर्दगी, संबंधित गांवों के समीप सबसे सुविधाजनक स्थधल पर स्थानीय प्रशासन द्वारा नियत पूर्व-निर्धारित सुपुर्दगी स्थल पर की जाती है।

Selling price of solvent and Naphtha

4086. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state;

(a) what is the selling price of Naphtha and Solvent in the country and the import duty and excise duty on these products, company-wise;

(b) whether Govemment have increased the selling price and excise duty on these products;

(c) if so, whether the import duties on the Naphtha and Solvent have also been increased;

(d) if not, whether this step would not give undue benefit to the private refineries/ distillation units of Naphtha; and

(e) the corrective steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) (i) The basic selling price exclusive of excise duty etc. of naphtha and solvent currently charged by the oil marketing PSU companies is as under:

Rs/SU

	Unit	IOC	BPC	HPC	IBP
Naphtha for solvent manufacturers	MT	16280	16280	16280	16280
Naphtha for others	MT	7072	7072	7072	7072
Solvent	KL	17000	17000	17000	—

(ii) The import duty and excise duty rates on naphtha and solvent are as under:

Import Duties

Naphtha Fertiliser — Nil

Naphtha General Uses— 4% + CVD 15%

Solvent — Basic Customs Duty 30%+Special Customs Duty *2%* + Additional Customs Duty 4% + CVD 32%

Excise Duties

Naphtha Fertiliser	Nil
Nqihte General Uses	15%
Solvent	32%

(b) The selling prices of Naphtha and Solvent are decontrolled and are fixed by Oil Companies on Market considerations. While there has been no change in excise duty on Naphtha, the excise duty on solvent has increased from 20% to 32% in the Union Budget 1998.

(c) In the Union Budget 1998 special additional duty of customs at the rate of 4% has been levied on Naphtha (general uses) and Solvent.

(d) and (e) Do not arise.

Oil refinery at Bhatinda

4087. SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the proposal to set up a Rs. 12000 crore oil refinery at Bhatinda by the Hindustan Petroleum Corporation Limited has since been approved;

(b) if not, the reasons for *the* delay; and

(c) the details of the contemplated refinery?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c)The detailed feasibility report (DFR) for implementing a Joint Venture Refinery at Bhaiinda with equity contribution of 26% each by the JV Partners has been submitted by HPCL. The estimated cost of the refinery and power plant as per the DFR is Rs. 9644 crores and Rs. 3364 crores respectively.

The Project is expected to be completed within 48 months from the date of Government's approval. The project is planned to be funded by IV Company through debt equity ratio of 1.5:1.

कुमाऊं मण्डल में रसोई गैम की एजेंसी खोलने हेतु सर्वेक्षण

4088. **श्री राजनाध सिंह**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुमाऊं मण्डल विकास निगम ने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जंगलों के संरक्षित हो जाने के फलस्वरुप उत्पन्न हुई ईधन समस्या के हल हेतु उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया है यहां पर सरोई गैस एजेंसो खोलने की र्सभावना हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त सवेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) "सरोई गैस की पर्वतीय क्षेत्र (ग्रामीण) विपणन योजना" के अंतर्गत बसोत/भिकियासैण (अल्मोड़ा) में रसोई गैस एजेंसी खोलने के प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा वर्तमान में इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):(क) और (ख) कुमाऊं मण्डल विकास निगम (के एम वी एन) उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है। सरकार को यह जानकारी नहीं है कि कमाऊं मण्डल विकास निगम ने एल पी जी डिस्ट्रिब्यूटरशिप खोलने के लिए सर्वेक्षण कराए हैं। तथापि इस क्षेत्र की ईधन आवश्यकता पूरी करने के लिए तेल कम्पनियों को निर्देश दिए गए हैं कि 2000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्रों में मांग करते ही एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाएं। 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार इन क्षेत्रों में एल पी जी की कोई प्रतीक्षा सूची बकाया नहीं थी।

(ग) बसोत और भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा में मैसर्स रानीखेत गैस सर्विस, रानीखेत (कुमाऊं मण्डल विकास निगम की एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप) के मौजूदा एल पी जी विस्तार केन्द्र है। बसोत और भिकियासैण में लोगों की एल पी जी मांग फिलहाल इन विस्तार केन्द्रों के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

भीकियासैण के लिए एल पी जी विपणन योजना 1997-98 में एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूट्रशिप शामिल की गई है और इसे शारीरीक विकलांग श्रेणी के अंतर्गत 18.6.98 को विज्ञाप्ति किया गया है।

बसोत स्वतंत्र रूप से एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तथापि, भिकियासैण के लिए व्यवहार्यता का पता लगाते समय बसोत स्थान पर भी विचार किया गया था क्योंकि यह भिकियासैण से 15 कि.मी. के दायरे में स्थित है और इसमें वहां से आपूर्ति की जाएगी।

एल पी जी के कनेकशनों को रामपूर स्थानांतरित किया जाना

4089. **श्रीमती मालती शर्मा**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामपुर में गैस एजेसियों का ब्यौरा क्या है त्था अप्रैल, 1997 से जून, 1998 तक भारत के विभिन्न स्थानों से रामपुर में एल पी जी कनेक्शनों के स्थानांतरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने आवेदकों को कनेक्शन देने से मना कर दिया गया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में मैसर्स प्रगति फ्लेम तथा समीर गैस से संबद्धता हेतु आवेदन करने वाले ग्राहकों ने अपनी शिकायतों के निराकरण हेतु कई बार उपरोक्त एजेंसियों से संपर्क किया परंतु उन्हें कोई न कोई बहाना बना कर टाल दिया गया; और

(ग) इस तरह की शिकायतो का ब्यौरा क्या है तथा उनका निराकरण कब तक किया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) उत्तर प्रदेश में रामपुर में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों की प्रचालन कर रही तीन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें है। अप्रैल, 1997 से जुन, 1998 तक की अवधि के संबंध में इल डिस्ट्रीब्यूचरशिपों पर प्राप्त किए गए अंतरण पाठचरों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-